

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

म०प्र०

निगरानी प्र०क्र०/ /016



Rs. 30/-

R5303-II/16

श्रीताराम यादव तनय चुनकू यादव निवासी ग्राम मटहा, तहसील सेमरिया
जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदक

बनाम

शासन म०प्र०

----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त
शाहपुर दिनांक 13.05.016 जो प्रकरण क्र० 23-अ/
74/14-15 में पारित किया जाकर आवेदकका
आवेदन बावत् इत्तलावी आदेश दिनांक 30.07.81
निरस्त किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

101 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मुद्रनाधीन आदेश दिनांक
13.05.016 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य
है ।

102 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन बावत्
इत्तलावी आदेश दिनांक 30.07.081 को निरस्त करने में एक महानु कानूनी
भूल की है ।

103 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत कतई गौर नहीं किया
निरस्त...

श्री. खेवर
द्वारा
प्रस्तुत कि

08.7.16

रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा



my

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5303-II/16

जिला-रीवा

सीताराम यादव / शासन म0प्र0

(1)	(2)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त शाहपुर, के प्रकरण क्रमांक 23/अ-74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.81 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>